तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **आम्बाराम वगैरह बनाम लीला वगैरह, मुकदमा संख्या 148/2014**	
23.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा अचलपुर के पुराना खेत खसरा संख्या 537 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा की भूमि आई हुई है। नवीन खसरा संख्या 1110, 1111, 1114 रकबा क्रमशः 1.61, 1.73, 0.44 हैक्टेयर, जुमले रकबा 3.78 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान जमाबंदी में कृष्ण आदि के नाम से है जो पुराना ट्रैस नक्शा एवं नवीन साथ प्रस्तुत है। पुराना खेत खसरा संख्या 537 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा जिसके पूर्व दिशा में प्रागा, रामा, करणसिंह तथा लीला पुत्र लगधीरा के खेत आये हुए है। चारों पडोसियों के बिच भूमि खसरा संख्या 537 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। जिसका नक्शा ट्रैस प्रदर्श 'अ' प्रस्तुत किया है चारो पडौसियों के कोई कटाण रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है न ही कोई रास्ता था, परन्तु द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अदालत के प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1111 एवं 1114 से पूर्व से बताते हुए खसरा संख्या 1110 एवं 1111 के उतर में कटाण रास्ता दर्ज कर दिया जो नक्शा प्रदर्श 'ब' में दर्शाया गया है। यह रास्ता मार्क 'ए' से 'बी' द्वितीय सेटलमेंट वालों ने अप्रार्थीगण से मिलावट कर अवैध तरीके से बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के दर्ज कर दिया जो गलत है। द्वितीय सेटलमेंट वालों ने हमारे खेत से उक्त रास्ता विधि–विरूद्व दर्ज किया है, जबकि आज दिन तक उक्त रास्ता मौके पर नहीं है परन्तु राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्व रास्ता दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रास्ता बनाने के लिए आमादा है तथा आए दिन प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1110, 1111 के उत्तर के एवं खसरा संख्या 1111, 1114 के बिच रास्ता निकालने के लिए खेत की माठ आदि तोड़ते रहते है जबकि पुराना नक्शा प्रदश'अ' में कोई रास्ता है ही नहीं तथा न ही कोई वर्तमान में रास्ता चलता है। विधि विरूद्व द्वितीय सेटलमेंट ने प्रार्थीगण के पुराने खसरा संख्या 537 से नवसृजित खसरा संख्या 1110, 1111, 1114 में नक्शा प्रदर्श 'ब' अनुसार रास्ता तरमीम किया है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का रकबा कम कर दिया है अतः अप्रार्थीगण जबरन बिना रास्ता के रास्ता निकालकर अपने नाजायज मंसूबे में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन अंको में नहीं आंका जा सकेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से तीनो मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में मनजी पुत्र मासिंगा के जायज वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है चुंकि पक्षकार कुसंयोजन के अभाव में प्रार्थना–पत्र काबिज खारिज है खसरा संख्या 1114 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि रास्ता की आयी हुई है जो प्रथम सेटलमेंट से लगातार आज दिन तक रास्ता चला आ रहा है ग्राम के तमाम काश्तकारों के आने जाने का एकमात्र रास्ता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है द्वितीय सेटलेंट वालों ने मौके पर जो रास्ते पुराने चल रहे थे इनको मौका के अनुसार दर्ज किया है अन्य तथ्य प्रार्थीगण ने गलत लिखे है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल [illegible] तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि [illegible] कैलाश नगर (अचलपुर) के खेत खसरा संख्या 1110, 1111, 1114 जुमले रकबा 3.78 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श नक्शा [illegible] के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर एवं फास्ट–ट्रैक सांचौर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested